ting of Government accommodation by Government employees in different colonies of Delhi|New Delhi;

(b) if so, the number of employees who have let out their accommodation as on 31st January, 1993, area-wise;

(c) the action taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) During the last one year preceding 31st January, 1993 541 inspections were carried out and subletting was found in 181 cases, which were cancelled under the allotment of Government Residence (General Pool in Delhi) Rules, 1963. No statistics are being maintained area wise.

गुजरात में शहरी गन्दी बस्तियों में वर्षा के जल की निकासी

2248. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को राज्य में शहरी गन्दी बस्तियों से वर्षा के जल की निकासी हेतु कोई सुविधायें प्रदान की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इसका ब्यौरा क्या है और इस योजना के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में किन-किन जिलों/क्षेत्रों में ऐसी सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) राज्य क्षेत्र में, "शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार (ई०आई०यू०एस०) नाम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्लम सुधार हेतु एक योजना है । इस योजना के अन्तर्गत शहरी स्लमों में कम लागत की जल आपूर्ति, नालियां, सामुदायिक स्नानघर तथा शौचालय, गलियों का चौड़ा करना तथा खड़ंजे बिछाना और पथ-प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधायें मुहैया की जाती हैं । राज्य सरकारों द्वारा शहरी स्लम बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत स्लम सुधार की परियोजनायें अपने राज्य योजना प्रावधानों में आरम्भ करना अपेक्षित है । इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर चयनित शहरों और क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

आवास एजेन्सियों की स्थापना

2249. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय राज्य और जिला स्तर पर आवास एजेंसियां स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का जिलावार ब्यौरा क्या है जहां एजेंसियां स्थापित की गई हैं ; और

(ग) उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां ये एजेंसियां स्थापित नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) आवास राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य/जिला स्तर पर आवास एजेंसियां गठित करने के प्रश्न पर निर्णय लेना राज्य सरकारों का काम है । तथापि अधिकांश